

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2- ५१८ / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(6४)-2011
लखनऊ:दिनांक:: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से केन्द्रीय बिक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा एवं इस्पात की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की धनराशि की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।